

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-5830/2021

राजीव किशोर सक्सेना

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, श्रम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं कौशल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.10.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:-

"It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and the order dated 18.10.2021 and action of the respondents for proposing charge sheet against the appellant may kindly be quashed and set aside. The respondents may further be restrained to issue charge sheet against the appellant under rule 16 of CCA Rules, 1958."

2. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया है कि चार्जशीट जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसलिए अपीलार्थी की अपील Pre-Mature है।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुका है और अपीलार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी को सेवा के दौरान कोई चार्जशीट जारी की गई है या नहीं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि चार्जशीट दिये जाने के संबंध में अधिकारिता इस अधिकरण को नहीं है। अतः यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)